

09/07/19

आयालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक -

रीडर/2019/

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 ईशराराम 2 गोरधनराम
पिसरान खेताराम जाति जाट
निवासी हरखोणियों गोदारों की
ढाणी, कवास तहसील व
जिला बाड़मेर।


1 देवाराम पुत्र रिडमलराम 2 लच्छाराम 3 उदाराम
पिसरान उगराराम 4 नवलाराम पुत्र जेठाराम 5 चुनाराम
पुत्र मेहरुराम 6 अचलाराम पुत्र रिडमलराम जाति जाट
7 निम्वाराम पुत्र पीराराम 8 नगाराम पुत्र अलसाराम
जाति दर्जी निवासी हरखोणियों गोदारों की ढाणी
कवास तहसील बाड़मेर 9 अमर खां पुत्र रमदान जाति
सिन्धी निवासी लापला कोसरिया तहसील बायतु जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128.111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 237/2017

दिनांक- 09/07/19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हरखोणियो गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 801 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 797/141 रकबा 04.10 बीघा, खसरा संख्या 806/141 रकबा 65.18 बीघा, खसरा संख्या 803/141 रकबा 07.00 बीघा कुल रकबा 77.05 बीघा भूमि एवं मौजा काउ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 808/115 रकबा 03.04 बीघा, खसरा संख्या 806/118 रकबा 13.18 बीघा, खसरा संख्या 801/118 रकबा 12.11 बीघा कुल रकबा 29.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक-

क्रमांक :- रीडर/2019/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. ईशराराम पुत्र खेताराम वगैराह जाति जाट निवासी हरखोणियों गोदारों को ढाणी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी देवाराम पुत्र रिडमलराम वगैराह जाति जाट निवासी हरखोणियों गोदारों की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर